UPSD040068022026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।

Criminal Misc. Cases/406/2026

मो० जमाल **बनाम** नसरुद्दीन उर्फ चीनक आदि

थाना–मोहाना,

जनपद–सिद्धार्थनगर

दिनांक–12.06.2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175(3)BNSS

पत्रावली पेश हुई। विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किये जाने के बावत आवेदक मो० जमाल के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3)BNSS पर सुना ।

संक्षेप में आवेदक का कथन है कि प्रार्थी के ससुर नसरुद्दीन उर्फ चीनक पुत्र इदरीश तथा साला थकाली पुत्र नसरुद्दीन प्रार्थी के घर दिनांक 23.3.2026 को आए तथा प्रार्थी की पत्नी जो मायके में ही है, को विदा करने के लिए जब प्रार्थी ने अपने ससुर और साले से कहा तो उन लोगों ने कहा कि चलो घर पर, साथ ही विदा कर देता हूं। इस प्रकार प्रार्थी के घर से उक्त लोग प्रार्थी को अपने साथ अपने घर ले गए, परन्तु जब विदा करने की बात कही तो इसी बात पर मेरी सास शहीदुनिशा पत्नी नसरुद्दीन ने गालियां देते हुए मना कर दिया, इसका विरोध करने एवं विदाई हेतु जोर देने पर मुलजिमान उपरोक्त 1 ता 6 ने एकराय, गोल बंद होकर रात्रि 9:30 बजे प्रार्थी को अपने घर में घेरकर गालियां देते हुए गला दबाकर जान से मारने की कोशिश किया और लात, जूतों, थप्पड़ों से मारने लगे तथा प्रार्थी के पॉकेट में रखा हुआ रु० 3500 भी मदीना पत्नी थकाली ने निकाल लिया प्रार्थी किसी प्रकार जान बचाकर वहां से भाग कर बाहर आया और शोर, हो–हल्ला होने पर किसी प्रकार जान बची। मुल्जिमान अभी भी जान की धमकी दे रहे हैं स्थानीय थाने पर शिकायत की गई, कोई भी कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। इसलिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पास प्रार्थना पत्र दिया गया है परंतु अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा सका है। अब, थक हार कर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि, घटना उपरोक्त के बाबत मुलजिमान के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना मोहाना को आदेशित करने की कृपा करें।

आवेदक का प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है तथा आवेदक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को प्रेषित प्रार्थना–पत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद, आहत आख्या की छाया प्रति एवं छाया प्रति आधार कार्ड पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

सम्बन्धित थाने की आख्या आहूत की गयी, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

Digitally signed by DHAMMA KUMAR SIDHARTH
Date: 2026.06.12 05:34:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी व गवाहान को घटना की बखूबी जानकारी है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन नम्बर–9297/07 सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2008(1)A.C.R. पेज 170, में प्रतिपादित विधि व्यवस्था एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राम बाबू गुप्ता एवं अन्य बनाम उ०प्र० सरकार 2001(2) A.C.R. 1350(F.B.)**, में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के आधार प्रश्नगत प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175(3) भा०ना०सु०सं० परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 BNSS दिनांक 13.07.2026 को पेश हो।

दिनांक–12.06.2026

(धम्म कुमार सिद्धार्थ)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 3504